मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 27, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 152 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 172 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्वागत उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में डॉ. ढ़ालसिंह बिसेन, माननीय सांसद की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया.

3. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा जिला सहकारी बैंक होशंगाबाद के कालातीत/माफ किए गए ऋण से सबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 7 (*क्रमांक 530) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सुभाष रामचरित्र, सदस्य की सिंगरौली, रीवा व सतना नगर निगम में सिवरेज लाईन प्रोजेक्ट के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण न किये जाने,

(2) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले के कन्नौद और खातेगांव चिकित्सालयों में कुत्ते के काटने पर दिये जाने वाले रेबीज इंजेक्शन का अभाव होने,

(3) श्री विक्रम सिंह, सदस्य की सतना जिले की विधान सभा क्षेत्र रामपुर बघेलान में ट्रांसफार्मरों की समस्या होने,

(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की प्रदेश में शराब बेचने वाले ठेकेदारों द्वारा उपभोक्ताओं को मनमाने रेट पर शराब का बेचे जाने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा ग्रेसिम उद्योग में ठेका श्रमिकों का वर्गीकरण न किये जाने से श्रमिकों को आर्थिक नुकसान होने,

(6) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, सदस्य की प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों की जायज मांगों को विभाग द्वारा अनदेखी किये जाने,

(7) श्री कुंवर जी कोठार, सदस्य की जिला राजगढ़ की कुण्डालिया बृहद परियोजना अंतर्गत डूब में आने वाले ग्रामों में पीने के पानी हेतु हैण्डपम्पों का उत्खनन कराये जाने,

(8) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नगर पालिका मकरोनिया स्थित शॉपिंग मॉल में वाहन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने,

(9) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की प्रदेश में संदेहास्पद या दर्ज आपराधिक प्रकरणों में मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम के तरीके में सुधार किये जाने एवं

(10) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की प्रदेश में पूर्व से चल रही जन हितैषी योजनाओं के अंतर्गत चल रही योजनाओं की निष्प्रभावी किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के धरने पर बैठे विद्यार्थियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने उल्लेख किया कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के धरने पर बैठे विद्यार्थियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के पश्चात् जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 13 दिसम्बर, 2019 को शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर वे अपनी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे थे. पुलिस ने उनको बर्बरतापूर्वक पीटा और वहां से 20 किलो मीटर दूर बिलखिरिया थाने ले गये. पुलिस द्वारा 25 विद्यार्थियों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई. विश्वविद्यालय द्वारा 23 विद्यार्थियों को निष्कासित किया जाकर उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है. विश्वविद्यालय उनकी मांगों पर विचार करे और उन पर दर्ज एफ.आई.आर. वापस लेकर उनके निष्कासन को समाप्त करें.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि नेता प्रतिपक्ष जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं जानकारी ले रहा हूं, आपकी भावना से मैं भी सहमत हूं, छात्रों के साथ अगर अन्याय हुआ है, तो शासन विश्वविद्यालय से जानकारी लेकर छात्रों के हित में निर्णय करेगा.

(2) प्रदेश में यूरिया न मिलने से किसानों में आक्रोश पैदा होना

डॉ. नरोत्तम मिश्र एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि प्रदेश में किसानों को खाद न मिलने से हाहाकार मचा हुआ है. अगर प्रदेश में खाद की कमी हो तो ब्लेक में कैसे खाद मिल रही है ? किसान लाईन लगाकर खाद खरीद रहा है और उसकी मांग के मुताबिक खाद न मिलने से उसमें आक्रोश व्याप्त है. यह लोक महत्व का विषय है इस पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराई जाए.

आसंदी द्वारा नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया गया कि आज इस पर नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा ग्राह्य की गई है, कार्यसूची में भी है, उसमें आप सब की भावनाएं समाहित है, उस समय अपनी बात आप सब रख सकते हैं.

6. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) तथा

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019),

पटल पर रखे.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत श्री तरूण भनोत, वित्त मंत्री ने -

(क) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 एवं

(ख) म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18,

पटल पर रखे.

(2) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने -

(क) दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 तथा

(ख) (i) जिला खनिज प्रतिष्ठान कटनी, छतरपुर, रीवा, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया, ग्वालियर एवं सतना के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, (ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान बैतूल, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सागर, सतना, धार, सिंगरौली के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 एवं (iii) जिला खनिज प्रतिष्ठान रीवा, अनूपपुर, सीधी, धार, ग्वालियर, छतरपुर, सिंगरौली के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

पटल पर रखे.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ 2-2-2019-सात-शा-7, भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019,

(ख) क्रमांक एफ 2-7/2019/सात/शा.7, भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं

(ग) क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा.-7, भोपाल, दिनांक 14 जून, 2019,

पटल पर रखीं.

(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ 44-23-2015-बीस-2, दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 एवं

(ख) क्रमांक एफ 44-23-2015-बीस-2, दिनांक 02 मार्च, 2019,

पटल पर रखीं.

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019 एवं

(ख) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18,

पटल पर रखे.

(6) श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(7) श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(8) श्री हर्ष यादव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(9) श्री लखन घनघोरिया, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(10) श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2017-18 पटल पर रखी.

8. जुलाई, 2019 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 25 एवं 26 जुलाई, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची तथा फरवरी, 2019 एवं जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-2 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2019 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 25 एवं 26 जुलाई, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची तथा फरवरी, 2019 एवं जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-2 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में पढ़ी गई शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में पढ़ी गई शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

10. सभा द्वारा यथापारित मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) के संबंध में राज्यपाल महोदय की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा द्वारा यथापारित "मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को पारित किया गया था मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. विधेयक के खण्ड 2 के उपखण्ड (सात) में अंतर्विष्ट मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 2019) की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (उनतीस) में किये जा रहे संशोधन की वांछनीयता पर सदन द्वारा पुनर्विचार किया जाए.

अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अधीन मैं इस विधेयक को विधान सभा के पुनर्विचारार्थ वापस करता हूं."

11. पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक का पटल पर रखा जाना

श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को यथापारित और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये रूप में मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) को मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्यों एवं अन्य विषयों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019)	30 मिनिट
4.	महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019)	30 मिनिट
5.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (31 सन् 2019)	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019)	30 मिनिट
7.	राज्यपाल महोदय द्वारा लौटाए गये मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर पुनर्विचार.	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2019	30 मिनिट
9.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019	1 घण्टा 30 मिनिट
10.	वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3 घण्टे
11.	वर्ष 2003-2004 के आधिक्य व्यय के अनुदान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	15 मिनिट
12.	मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा स्वयं तथा परिवार के आश्रित सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों के विवरण प्रस्तुत करने संबंधी संकल्प.	30 मिनिट
13.	प्रदेश में यूरिया खाद के गंभीर संकट तथा प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	1 घण्टा 30 मिनिट

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्यों एवं अन्य विषयों के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सभापति ने लोक लेखा समिति का प्रथम से सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

14. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री लक्ष्मण सिंह
(3) श्रीमती झूमा सोलंकी
(4) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक
(5) श्री जगदीश देवड़ा
(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

15. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 16 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2019
(2)	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2019
(3)	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2019
(4)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 26 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2019
(5)	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2019
(6)	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2019
(7)	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2019
(8)	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2019
(9)	मध्यप्रदेश गौ-भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2019
(10)	मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2019
(11)	मध्यप्रदेश मध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2019
(12)	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2019
(13)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2019
(14)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2019
(15)	मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2019
(16)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2019

16. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(1) श्री कुँवर सिंह टेकाम, सदस्य ने सीधी जिले में ग्राम सड़क निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

(2) श्री प्रवीण पाठक तथा श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, सदस्य ने प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को स्मार्ट कार्ड प्रदाय न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री की अनुपस्थिति में श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

17. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

18. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(4) श्री विनय सक्सेना तथा श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्यगण ने मंडला एवं डिण्डोरी जिले में सौभाग्य योजना के तहत किये गये विद्युतीकरण के कार्य में अनियमितता की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

19. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति (क्रमश:)

(2) श्री लक्ष्मण सिंह, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पन्द्रहवां से उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) कुंवर विक्रम सिंह, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

20. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित निम्न सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(2) डॉ. सीतासरन शर्मा (मध्यप्रदेश)
(3) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(4) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(7) श्री विश्वास सारंग (जिला-रायसेन)

(8) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(9) श्री शिवनारायण सिंह (जिला-उमरिया)
(10) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)

21. संकल्प

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वयं का तथा अपने परिवार के आश्रितों का संपत्ति विवरण पटल पर रखने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" यह सभा संकल्प करती है कि मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रत्येक सदस्य स्वयं की तथा परिवार के आश्रित सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण, चुनाव में उम्मीदवार द्वारा जानकारी देने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक विवरणी के रूप में, दिनांक 31 मार्च की स्थिति में प्रति वर्ष 30 जून तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत विवरण मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा."

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री विश्वास सारंग, सदस्य एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने इस संकल्प पर अपना मत व्यक्त किया.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

22. अध्यक्षीय घोषणा

शासकीय विधेयकों को आज ही पुर:स्थापन एवं विचार में लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि दिनांक 17 दिसंबर, 2019 की कार्यसूची में पुर:स्थापन हेतु सम्मिलित विधेयक सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाने के फलस्वरूप मैंने उन विधेयकों को आज पुर:स्थापन एवं विचार में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

23. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

24. वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को 3 घन्टे का समय नियत किया गया.

25. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री अजय विश्नोई
(2) डॉ. अशोक मर्सकोले
(3) श्री कमल पटेल
(4) डॉ. हीरालाल अलावा
(5) श्री केदारनाथ शुक्ल
(6) डॉ. सीतासरन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति) (एन.पी.) पीठासीन हुए.

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा
(2) श्री देवेन्द्र पटेल
(3) श्री के.पी. त्रिपाठी
(4) श्री कमल पटेल
(5) श्री रामलाल मालवीय
(5) श्री रामेश्वर शर्मा
(5) श्री जालम सिंह पटेल
(5) श्री संजय शर्मा
(5) श्री सोहनलाल बाल्मीक

श्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 9 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ.

(3) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विश्वास सारंग

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान
(3) श्री कुणाल चौधरी
(4) श्री दिनेश राय "मुनमुन"
(5) श्री अरविन्द भदौरिया

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

(5) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष
(5) श्री श्री केदारनाथ शुक्ल

श्री जीतू पटवारी ने चर्चा का उत्तर दिया.

26. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा शासन द्वारा शिक्षण संस्थाओं पर सरकार के कब्जे का प्रयास करने एवं हठधर्मिता करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

27. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जीतू पटवारी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जीतू पटवारी ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

28. व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले अपराह्न 3.37 बजे से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 3.46 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

29. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल
(2) श्री सुनील सराफ
(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल
(4) श्री सुनील उईके

श्री जीतू पटवारी ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जीतू पटवारी ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

30. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

प्रदेश में यूरिया खाद के गंभीर संकट तथा प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

प्रदेश में यूरिया खाद के गंभीर संकट तथा प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया:-

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखिराम कावरे) पीठासीन हुईं.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति) (एन.पी.) पीठासीन हुए.

(2) श्री संजय यादव
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 28, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019